प्रपत्र - "क"

प्रेषक,

पदनाम

सम्वर्ग नियंत्रण पदाधिकारी/वित्तीय उन्नयन देने हेतु सक्षम पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार,

झारखंड, पो0-हिन्नू, रांची ।

विषय:- श्री.............................पदनाम.......................

को वित्त विभाग के संकल्प सं0-5207, दिनांक-14.08.2002 के अनुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री........................................ पदनाम.....................की नियुक्ति................के नियमित पद पर वेतनमान.....................में दिनांक.....................को हुई थी । इन्हें दिनांक 01.04.64, 01.01.71, 01.04.81, 01.01.86 एवं 01.01.96 को क्रमशः.......... .............................का पुनरीक्षित वेतनमान मिला है और इसका सत्यापन सक्षम स्तर से किया जा चुका है। प्रथम नियमित नियुक्ति के पश्चात् भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में यथा विहित ...........................पद पर दिनांक..................को प्रोन्नति मिली है जो संवर्गीय प्रोन्नति का प्रथम सोपान है ।

वर्त्तमान पद सीधी भरती का है तथा अब इनकी सेवा दिनांक.......... को 12/24 वर्षों की पूरी हो गई है और इन्हें कोई संवर्गीय प्रोन्नति/एक संवर्गीय प्रोन्नति का लाभ मिला है/नहीं मिला है और इस पद के लिए वित्त विभाग के संकल्प सं0 660 दिनांक-08.02.99 के द्वारा रु0..................का वेतनमान स्वीकृत है ।

अतः स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0-5207 दिनांक-14.08.2002 के प्रावधानों के तहत् दिनांक-.............के प्रभाव से प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान रु0.................में इनके संवर्गीय पद उपलब्ध होने की तिथि तक दिया जाता है ।

2: वित्त विभाग के द्वारा सम्पुष्टि के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुस्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा ।

विश्वासभाजन,

पदनाम

सम्वर्ग नियंत्रण पदाधिकारी/वित्तीय उन्नयन देने हेतु सक्षम पदाधिकारी।